

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :- रा0खा0आ0 (नीति)-16/2021 - 742
प्रेषक,

संजय कुमार,
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक:- 17.11.2021

विषय:- राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के परिवारों को सुलभ पेयजल की व्यवस्था एवं भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि आयोग को ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि राज्य के कई क्षेत्रों में पेय जल की पर्याप्त सुविधा नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में परिवार के सदस्यों द्वारा दूर-दराज के स्थानों से पानी ढोकर लाना पड़ता है। ऐसे स्थानों में पानी ढोकर लाने वाले परिवार के सदस्य के बीमार हो जाने की स्थिति में घर पर अनाज रहने के बावजूद ऐसा परिवार भोजन नहीं बना पाते एवं उन्हें भोजन से वंचित रह जाना पड़ता है। इससे उस परिवार के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि प्रशासन इन क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखे एवं इन क्षेत्रों के परिवारों को सुगमता पूर्वक पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करे, जिससे कि ये परिवार पेयजल के अभाव में भोजन से वंचित ना हों।

अतः निदेश दिया जाता है कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन



(संजय कुमार)

सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापक :- रा0खा0आ0 (नीति)-16/2021 - 742

राँची, दिनांक:- 17.11.2021

प्रतिलिपि:- सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि राज्य के कितने गाँव/टोला ऐसे हैं जहाँ पेयजल की सुविधा नहीं है, इस आशय की सूचना से आयोग को अवगत कराने की कृपा की जाय।



(संजय कुमार)

सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

OLC